उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन लाडपुर रिंग रोड देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
पत्रांक : 429 / सू.एंव.लो.स.वि.(प्रेस.) 31/2017 दिनांक 4 सितम्बर 2017

सचिवालय में पत्रकारों एवं उनके वाहनो को प्रवेश पत्र निर्गत करने संबंध में दिनांक 14.7.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में निर्धारित निर्देशो के अनुसार पत्रकारो को सचिवालय पास निर्गत करने हेतु प्रस्तावित मानक सिद्वान्त

1. राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त सभी पत्रकार / स्वतत्रं पत्रकार को सचिवालय पास निर्गत किये जायेगे। ऐसे सभी पत्रकारों के उनके स्वंय के नाम पर पंजीकृत व्यक्तिगत वाहनों के लिए वाहन पास अनुमन्य किया जा सकेगा।
2. राज्य स्तर के समाचार पत्रों के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों (**अधिकतम–03 संवाददाता 01 फोटोग्राफर**) को सम्पादक / स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किये जायेगे।
3. आर0एन0 आई / ए0बी0सी से प्रसार संख्या प्रमाणित एवं राज्य से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रो के गैर मान्यता श्रेणी के (प्रसार संख्या 35 हजार से अधिक हो) **01 संवाददाता 01 फोटोग्राफर** को सम्पादक / स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा।
4. राष्ट्रीय स्तर के दैनिक जिनका (न्यूनतम 10 कार्मिकों का) ब्यूरो देहरादून में स्थापित हो के गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी के **02 संवाददाता 01 फोटोग्राफर** को सम्पादक / स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय प्रास निर्गत किया जायेगा।
5. प्रदेश के बाहर से प्रकाशित दैनिक (जिनकी कार्मिक संख्या 10 से कम है) जिनका ब्यूरो देहरादून में स्थापित है जिनकी प्रसार संख्या न्यूनतम 50,000 हो के गैर मान्यता श्रेणी के **01 संवाददाता 01 फोटोग्राफर** को स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा।
6. यदि प्रदेश के दैनिक जिनकी न्यूनतम प्रसार संख्या (25000 हो) के किसी पत्रकार को मान्यता नहीं है तो **01संवाददाता 01 फोटोग्राफर को** सम्पादक की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा।
7. समाचार चैनल जो विभाग में सूचीबद्व है के गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारो को सम्पादक / स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर निम्नानुसार सचिवालय पास निर्गत किये जायेगे।
   श्रेणी– **ए के 03 संवाददाता 03 कैमरामैन – 2 वाहन पास चैनल हेतु (ड्रापिंग)**
   श्रेणी **–बी के 02 संवाददाता 02 कैमरामैन –1 वाहन पास चैनल हेतु (ड्रापिंग)**
   श्रेणी **–सी के 01 संवाददाता 01 कैमरामैन –1 वाहन पास चैनल हेतु (ड्रापिंग)**
8. राष्ट्रीय चैनल जो डी.ए.वी.पी में सूचीबद्ध है के देहरादून में नियुक्त गैर मान्यता प्राप्त 01 रिपोर्टर 01 कैमरामैन को सम्पादक / स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किये जायेगे। प्रत्येक चैनल हेतु एक ड्रापिंग वाहन पास दिया जायेगा।
9. अन्य समाचार चैनल जो विभाग अथवा डी.ए.वी.पी में सूचीबद्ध नही हैउनके सिर्फ एक संवाददाता एक कैमरामैन को पास निर्गत किया जायेगा।

10. केवल दैनिक समाचार पत्रों के संवाददाताओं एवं छायाकारों को सचिवालय पास दिया जायेगा। इसमें भी ऐसे समाचार पत्र/पत्रिकाएं, जो सूचना विभाग में सूचीबद्ध है, उन्हे प्राथमिकता दी जायेगी।समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में उन्ही पत्रकारों को पास दिया जायेगा, जिसके समाचार पत्र /पत्रिकाएं RNI / DAVP में पंजीकृत हो व विभाग में सूचीबद्ध हों। पंजीकरण संख्या अपने प्रार्थना पत्र में उन्हें अंकित करनी होगी। सामान्यतः मासिक/साप्ताहिक/पाक्षिक पत्र/ पत्रिकाओं को सचिवालय प्रवेश पास निर्गत नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में मासिक पत्रिकाओं जिनकी प्रसार संख्या 50000 से अधिक हो के **01 सम्पादक/संवाददाता, 01 फोटोग्राफर को** तथा साप्ताहिक/पाक्षिक (25000 से अधिक प्रसार संख्या) केवल सम्पादक को सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा।

11. प्रतिष्ठित समाचार एजेन्सियों जो पी0आई0बी/डी0ए0वी.पी से मान्य की जाती है के **01 संवाददाता** 01 **फोटोग्राफर को** सम्पादक/स्थानीय ब्यूरो प्रमुख की संस्तुति पर सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा। प्रत्येक एजेंसी हेतु अधिकतम एक वाहन पास जारी किया जा सकता है।

12. विभाग में सूचीबद्ध न्यूज पोर्टल के अधिकतम एक प्रतिनिधि (स्वामी/वेतनभोगी रिपोर्टर) को ही सचिवालय पास निर्गत किया जायेगा।

13. यह पास ऐसे पत्रकारो को निर्गत किया जायेगा जो देहरादून में निवास करते है और उन्हें समाचार संकलन के लिए नियमित रूप से सचिवालय आना होता है।

13. किसी भी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के मैनेजर/मार्केटिंग/विज्ञापन स्टाफ आदि, जिनका सम्बन्ध नियमित सूचना प्राप्त करने से नहीं है, को पास निर्गत नहीं किया जायेगा।

14. गैर मान्यता श्रेणी के पत्रकारों को सचिवालय पास जारी करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर L.I.U रिपोर्ट आवश्यक होगी। गैर मान्यता श्रेणी के पत्रकारों को उनके व्यक्तिगत वाहन हेतु वाहन पास स्थायी/ड्रापिंग केवल विशेष परिस्थितियों मे ही जारी किया जायेगा। यह पास भी एक संस्थान से अधिकतम एक सम्पादक की संस्तुति पर ही, जारी किया जायेगा।

15 सचिवालय की सुरक्षा एवं पार्किंग की कमी को दृष्टिगत रखते हुये वाहन प्रवेश पत्र वाहन संख्या एवं पंजीकरण अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराने पर ही निर्गत किये जायेगें जो 02 प्रकार के **(स्थायी एवं ड्रापिंग)** होंगे। वाहन पास पत्रकार के व्यक्तिगत वाहन जो उन्ही के नाम पंजीकृत हो अथवा उनके संस्थान के स्वामित्व का वाहन अथवा उनके संस्थान द्वारा अनुबंधित वाहन होने की स्थिति में जारी किये जायेंगे।

16. प्रदेश के अन्य जनपदों से प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों के सम्पादक,यदि अनुरोध करते है, तो उन्हें भी सचिवालय पास निर्गत किया जा सकेगा।

17. उक्त मानक सिद्धान्त केवल मार्गदर्शक सिद्धातो के रूप में है और सचिवालय पास निर्गत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण एव अंतिम अधिकार महानिदेशक में निहित होगा।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

<u>पत्र संख्या : 429/सू.एंव.लो.स.वि.(प्रेस.) 37/2017,तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन उत्तराखण्ड शासन को।
2. सचिव,विधान सभा उत्तराखण्ड को
3. सचिव सूचना उत्तराखण्ड शासन को।
4. प्रभारी मीडिया सेंटर विधान सभा।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक